न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी-0532/2019/सतना/भू.रा.स. राजस्व पुनरीक्षण प्र0क0-........./19-20

अशोक सुखरामानी पिता सांवलदास सुखरामानी आयु 60 वर्ष निवासी भरहुत नगर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0...निगराकार

बनाम

1- रामप्रसाद चौरसिया उर्फ भल्लन चौरसिया आयु 71 वर्ष पिता स्व0मोहनलाल चौरसिया पेशा व्यापार निवासी शिवम् काम्पलेक्स होटल सवेरा के पास रीवा रोड सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2- श्रीमती चन्द्रकला रिझवानी पत्नी श्री प्रकाशचन्द्र रिझवानी निवासी एच0आई0जी नं0-5 भरहुत नगर मोड कटारे कम्प्यूटर के पास भरहुत नगर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना...गैरनिगराकारगण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा (लिंक कोर्ट सतना/सीधी) के न्यायालय के अपील प्र0क0-424/अपील/17-18 मे पारित आदेश दिनांक 07/04/18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मुकेश कुमार शुक्ला द्वारा आज दि0 22-5-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-6-19 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील रघुराजनगर के न्यायालय मे रेस्पा0क01 द्वारा अपील नामान्तरण पंजी क0-39 मे पारित आदेश दिनांक 11/10/02 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी ।

--2

(92)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0532/2019/सतना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार शुक्ला उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। आवेदक अधिवक्ता सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	